केन्द्रीय सूचना आयोग
द्वितय तल, अगस्त्त क्रांति भवन
भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली – 110066.
******

प्रथम अपील सं. CIC/AA/A/2017/125 दिनांक: 17.04.2017
संदर्भ संचिका सं. CICOM/A/2017/00119
CICOM/R/2016/01411

अपीलकर्ता : श्री ब्रजराज किशोर,
78, बृज द्वारिका कालोनी,
पश्चिमपुरी, पोस्ट – सिकन्दरा,
आगरा – 282007.

निर्णय की तारीख : 17.04.2017

आर.टी.आई. आवेदन की तिथि	07.10.2016
आर.टी.आई. के तहत सूचना प्रदान करने की तिथि	21.10.2016, 04.11.2016
प्रतिउत्तर देने वाले जन सूचना अधिकारी	श्री यू. सी. जोशी, श्रीमती पुष्पा जनार्दनन
प्रथम अपील दाखिल करने की तिथि	18.11.2016
आयोग में प्रथम अपील का डायरी सं. व तिथि	186812/21.11.2016
प्रथम अपीलीय अधिकारी के कार्यालय का डायरी सं. व तिथि	135/07.04.2017

1. अपीलकर्ता ने आर.टी.आई. आवेदन के माध्यम से 11 बिंदुओं पर सूचनाएं मांगी थी, जिसके प्रतिउत्तर में श्री यू. सी. जोशी एवं श्रीमती पुष्पा जनार्दनन, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारियों द्वारा प्रदान की गई सूचना से संतुष्ट न होने पर अपीलकर्ता ने प्रथम अपील दाखिल की है ।

2. अपीलकर्ता का दिनांक 18.11.2016 का यह प्रथम अपीली जो कि केन्द्रीय सूचना आयोग में दिनांक 21.11.2016 को डायराइज हुआ तथा डाक अनुभाग द्वारा भूलवश किसी अन्य अनुभाग को अग्रसारित हो जाने के कारण प्रथम अपीलीय अधिकारी के कार्यालय में दिनांक 07.04.2017 को प्राप्त हुआ । प्रथम अपील आवेदन में अपीलकर्ता ने उल्लेख किया है कि बिंदु सं. 4, 6 एवं 10 की सूचना प्रदान कर दी गई है तथा बिंदु सं. 1, 3, 5, 7, 8, 9 एवं 11 के संबंध में सूचनाएं उपलब्ध करवाने का अनुरोध किया है । **आवेदन के बिंदु सं. 5 के संदर्भ में रजिस्ट्रार, केन्द्रीय सूचना आयोग को आर.टी.आई. आवेदन की प्रतिलिपि संलग्न करते हुए निर्देश दिया जाता है कि इस आदेश की प्राप्ति के दस कार्यदिवसों के अंदर अपीलकर्ता का वांछित सूचना उपलब्ध करवाई जाए तथा आवेदन के बिंदु सं. 1, 3, 7, 8, 9 एवं 11 के संदर्भ में श्रीमती पुष्पा जनार्दनन द्वारा प्रदान की गई सूचना बिल्कुल सही है तथा इसमें प्रथम अपीलीय अधिकारी के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है ।** उल्लेखनीय है कि एक जन सूचना अधिकारी केवल उस कार्यालय के रिकार्ड में उपलब्ध सूचनाएं ही प्रदान कर सकता है ।

3. तद्नुसार अपील निस्तारित की जाती है ।

4. प्रस्तुत संदर्भ में अपीलकर्ता यदि इस आदेश/निर्णय से संतुष्ट न हों तो अधिनियम की धारा 19(3) के अंतर्गत द्वितीय अपील इस आदेश की प्राप्ति के 90 दिनों के अंदर केन्द्रीय सूचना आयोग, 'सी' विंग, अगस्त्त क्रांति भवन, भिकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली - 110066 में की जा सकती है ।

(आर. के. सिंह)
अपर सचिव एवं
प्रथम अपीलीय अधिकारी

O/C

प्रतिलिपि :

1. जन सूचना अधिकारी, आर.टी.आई. प्रकोष्ठ, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली ।
2. **रजिस्ट्रार, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली ।**

C.I.C. / के. सू. आ.
RECEIVED
Initials
18/4/17